Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Reply to Original Application/Disposal of 1St Appeal

No.2017/HQ/ADMIN/RTI-242+243 New Delhi: 11.12.2017

Shri Girraj Singh
S/o Shri Ram Babu,
Vill. Nagla, Gokul Barhan,
Teh. & Block- Etmadbad
Janpad-Agra-283201
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Original Applications dated 16.11.17 & 16.11.17 received on 16.11.17 from Shri Girraj Singh R/o: UP through Ministry of Railways.

Informatino received from the concerned office is as under;

क्र सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	प्रार्थिया जिस मकान में अपने तीनों पुत्रों व बच्चों के सथ रह रहा है उस मकान का अधिग्रहण रेल परियोजना द्वारा अधिग्रहण कियाग या है और उस मकान व जमीन को अधिग्रहण करने के एवज में केवल प्रर्थिया को ही मुआवजा राशि मिल रही है जब कि शासनादेश के अनुसार मेरे अतिरिक्त मेरे शादी शुदा एवं बेरोजगार तीनों पुत्रों को भी मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। शासनादेश की छायाप्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थिया को जो मुआवजा राशि मिल रही है वह भी सर्किल रेट से बहुत कम है। उसका पुनः सर्वे कराकर उचित मुआवजा राशि मुझ सहित मेरे शादी शुदा तीनो पुत्रों को भी मुआवजा राशि देने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त आपका ध्यान एक बिन्दु पर आकर्षित करना चाहती हूँ। वह भी यह है कि भूमि अधिग्रहण के पूर्व अधिकारियों द्वारा यह बताया गया था कि विधवा या	डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम बरहन के नगला गोकुल में अधिग्रहीत भूमि पर अवस्थित मकान व राष्ट्रीय पुनर्वास राशि के प्रतिकर प्रार्थीगणों को आपसी सहमति के आधार पर पृथक–पृथक कर किया गया है। जिसकी सूची संलग्न है। उपरोक्त उपरोक्त परियोजना में प्रभावित किसानों को नौकरी देने का कोई भी प्रावधान नही है। 8/12/17

प्रेषण
11 DEC 2017
प्रेषण सं0......40

ED609878891IN

ED609878888IN

विकंलाग व्यक्ति को प्रत्येक माह पेन्शन के रूप में जीवनपर्यत्न एक सुनिश्चित राशि दी जायेगी और इनके परिवरीजन जो नौकरी योग्य होगें उन्हे नौकरी प्रदान की जायेगी। अतः आपसे करबद्व प्रार्थना है कि मुआवजा की राशि को पुनः सर्वे कराकर मुझ सहित तीनों पुत्रों को मुआवजा राशि प्रदान की जाये इसके अतिरिक्त पेंशन देने एवं मेरे पुत्र जो नौकरी के योग्य है और बेरोजगार है उन्हे नौकरी देने की कार्यवाही अतिशीघ्र आपके कार्यालय के लिए उपरोक्त समस्या की आवेदन प्रति दी जा चुकी है परन्तु आपके विभाग से प्रार्थीया के हित में कोई आवश्यक नही की गयी है तो प्रर्थिया पुनः आपके कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2017 के माध्यम से श्रीमान मुख्य परियोजना प्रबधंक अधिकारी डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना पता 3/20 तृतीय मंजिल के0पी0एस0 टावर, मयूर काम्पलैक्स, नगला पदी, जनपद आगरा–282002 में उपस्थित होकर द्वितीय प्रार्थना पत्र जिसमें श्रीमान अरविन्द वर्मा जी सचिव भूमि अधिकारी जिनका मो 9897478103 है जिनको मूल समस्या बतायी जिसमें आवश्यक कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न कर का हवाला देते हुए प्रर्थिया एवं प्रर्थिया के पुत्र ने अपने परिवार की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुये श्रीमान अरविन्द वर्मा जी के समक्ष अपनी समस्या रखी लेकिन उपस्थित अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि तुम को कब्जा छोडना ही होगा और केवल मुआवजा सवित्रीदेवी के नाम से ही मिलेगा वो भी बिना ब्याज के। यह मुआवजा आपको जबरदस्ती लेना होगा जिस पर पुनः हमने परिवार गंभीर स्थिति बंया करते हुए बडी नम्रता से अधिकारगण से अपनी विनती कर मुअवजा दिलाया जाना प्रर्थिया के न्याय हित में उचित होगा क्यो कि प्रर्थिया का परिवार पूर्व से पिछडा चला आ रहा है। लेकिन श्रीमान अरविन्द वर्मा जी द्वारा मौखिक रूप बार–बार यही कहा गया कि तुमको कब्जा छोडना ही होगा और केवल मुआवजा सवित्री देवी के नाम से ही मिलेगा और पुन– शक्ति के साथ धमकाते हुए कहा गया कि यह गरीबीं बेरोजगारी विधवापन व पेंशन जैसी आपकी मॉग की हमारे पास कोई जिम्मेदारी नही है आपकी ऐसी मॉगे बिल्कुल ही पूरी नही की जायेगी और न ही आपकी ऐसी स्थिति का हम पर कोई फर्क

पडता है जिसके सम्बंध में तुम लोग हमको परेशान मत करों। यदि हमारा मूड बदला गया तो हम जो मुआवजा मिल रहा है वो भी नही मिलने देगें क्यों कि मुनले जिस भूमि पर मकान बना रखा है वह ग्राम पंचायत की भूमि है। तो श्रीमान जी से हमने पुनः विनती की यह मकान हमारा दादा पर दादा के समय से बना हुआ है जिसकी आवंटन की रसीद भी हमारे पास सुरक्षिता है। तो अधिकारी द्वारा कहा कि फिर भी हम आपको हिदायत देते है कि तुम लोग जो मुआवजा मिल रहा है यह चुपचाप बिना कुछ कहे ले लो और अतिरिक्त मुआवजा की माँ मत करो अन्यथा अच्छा नही होगा क्योकि तहसील स्तर से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक हमारे लिंक है और इस प्रकार की मुआवजा की मॅाग करके आप कोई फायदा नही ले सकते क्यों कि इन विभागो के लिए हमारी कंपनी अतिरिक्त पैसा खर्च करती है। और आप जैसे लोगों से इनके सहारे से कब्जा को जबरदस्ती ले लेते हैं और इसके बाबजूद भी कानूनी सम्बन्धी हमारी कम्पनी को जरूरत पड.ती है तो कर्मचारी के रूप में वकील हैसे लोगो को विभाग में कर्मचारी कार्य पर यख लिया जाता है जिससे वह समय–2 पर कानूनी सम्बन्धी जानकारी एवं ऑाप हैसे लोगों के कार्य से बाधा उत्पन्न करते हुए अपनी अहम भूमिका निभाता है इस लिए तुम लाग गरीब लोग हो तुम लोगो को जितना पैसा मिल रहा है उसको चुपचाप रख लो हमें अतिरिक्त परेशान मत करो हम जैसा कहते हैं उसी के मुताविक हमारी मन मर्जी चलती है इस सम्बन्ध में हमनें पत्र मे भी कई एक दो किसानों को उनकी भूमि का मुआनजा नहीं दिया है जबकि उनकी भूमि का अधिग्रहण हमारे द्वारा किया गया जब कि भूमि में उनके नाम भी थे और कब्जा भी था। हमने उनका कब्जा जवरन हटवा दिया और मुआवजा भी नही दिया जअ वह लोग अनुसूचित जाति के किसान थे जो कि भारतीय सविधान में अतिरिक्त प्रावधान का दर्जा दिया गया है तुम क्या बेचते हो जब कब्जा लेने पर आयेंगे तो एक दो घन्टे में कब्जा लेकर दिखा देंगे क्यूकि हमारा प्लान काफी हद तक उचां और बडा और मजबूत होगा और तुम्हारी लिखा पढी पत्राचार शिकायतें आदि भी कुछ भी काम में नहीं आयेंगी और रददी की टोकरी में पडी होगीं इसलिए हम तुम्हे

	अन्तिम बार समझा रहे हैं कि जो मिल रहा है उसे चुपचाप ले लो अन्यथा यह भी हाथ से निकल जायेगा तू एक गरीब महिला है इसलिए तुम्हे समझा रहे हैं और जो तू लिखपढी कर रही है उसमें भी तेरे समय और धन की हानि हो रही है इसलिए और समझा रहे हैं। प्रार्थना पत्र देने के लिए बहुत कहा तो बडी मिन्नतों के साथ उपस्थिति हस्ताक्षर रजिस्टर पर बडी मुश्किल से हस्ताक्षर करने दिये और रिसीविंग भी प्रार्थना पत्र की हाथ जोडनें के बाद दी लगभग विभाग में दो घन्टे तक बैठे रहे लेकिन बैठने वाले स्थान पर या गेट के बाहर आने वाले अतिथियों के लिए विभाग नें पानी पीने के लिए भी उचित प्रबन्ध नहीं कर रखा है और ना ही पानी पिलाने के लिए कोई चपरासी नहीं रखा है जिससे आने वाले व्यक्ति या अतिथि सेवा पूर्ण नहीं होती है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एवं पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एवं उसके साथ संलग्न आवश्यक छायाप्रति कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही कर सूचना बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध करायें उपरोक्त विभाग द्वारा हम गरीब मजदूर वर्ग भूमिहीन विधवा एवं अतिसंवेदनशील परिवार के साथ इस प्रकार का शोषण व उत्पीडन व अनुचित दबाव किन नियमों के ननुसार किया जा रहा है। जिनका साक्ष्य सहित प्रमाण दें। अगर यह जानबूझकर किया जा रहा है तो इनके प्रति क्या कार्यवाही होगी उसकी प्रति नियम व साक्ष्य सहित उपलब्ध करायें	
2	उपरोक्त आवेदन के सम्बन्ध में श्री अरविन्द वर्मा जी के द्वारा उक्त दिनांक में उपस्थित होकर कहा गया क्या यह भारतीय संविधान के नियमों का व न्याय का पालन करता है यदि करता है तो उसकी प्रति नियम व साक्ष्य सहित उपलब्ध करायें यदि नहीं करता है तो वह प्राइवेट कम्पनियां इस तरीके से जनता के साथ में ऐसा व्यवहार किस उददेश्य के लिए कराती है।	भूमि अधिग्रहण सम्बंधी कार्यवाही हेतु दर का निर्धारण कार्यालय अपरजिलाधिकारी भू0अ0 आगरा एवं मकानो का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग आगरा के द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय का प्रतिकर निर्धारण करने एवं प्रतिकर बढाये या घटाये जाने एवं इस कार्यालय के किसी भी कर्मचारी का किसी किसान का शोषण करने का कोई औचित्य ही नही है।
3	उपरोक्त मान्यता प्राप्त कंपनी को इसलिए अधिकार प्राप्त किये जाते है कि यह गरीब मजदूर और वेवश परिवारों को इस तरह का शोषण कर सके।	इस कार्यालय द्वारा प्रतिकर वितरण की कोई कार्यवाही नही की जाती है। इस कार्यालय के किसी भी कर्मचारी

		द्वारा किसी किसान का शोषण करने का कोई औचित्य ही नही है।
4	उपरोक्त ऐसे परिवार की गंभीर परिस्थितियों में मुआवजा कुछ अधिक मांगना क्या गुनाह करने के योग्य है जो कि कंपनी द्वारा पीडि़त परिवार को कुछ अधिक मुआवजा देनें में काफी परेशान करना उसके बाबजूद भी मुआवजा न दिया जाना न्यायोचित है।	भूमि अधिग्रहण सम्बंधी कार्यवाही हेतु दर का निर्धारण कार्यालय अपरजिलाधिकारी भू0अ0 आगरा एवं मकानो का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग आगरा के द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय का प्रतिकर निर्धारण करने एवं प्रतिकर बढाये या घटाये जाने कोई औचित्य ही नही है।
5	दिनांक 05.05.2017 के प्रार्थना पत्र की जॉच कार्यवाही प्रति व 29.05.2017 की जॉच कार्यवाही प्रति की रिपोर्ट प्रमाणित उपलब्ध कराने की कृपा करें।	उपरोक्त दोनो प्रार्थना पत्रों के जबाब प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पत्राचार के पते पर डाक के माध्यम से भेजे जा चुके है।
6	आपके विभाग मे संबंधित प्रार्थना प्रार्थनी के आपके विभाग में अब तक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए वो सभी प्रार्थना पत्र अन्य विभागों से लेकर आपके विभाग में पहुँचने के लिए किस किस तारीख में किन किन अधिकारियों के समक्ष होकर दिनांक वार लंबित व निलम्बित रहे किन नियमों के तहत का भी प्रमाण उपलब्ध करायें।	इस कार्यालय को प्रार्थी के 02 प्रार्थना पत्रों प्राप्त हुये जिनके जबाब इस कार्यालय द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के पत्राचार के पते पर डाक के माध्यम से भेजे जा चुके है।
7	उपरोक्त के संबंध में संबंधित नियमों के उल्लंघन व दोषी अधिकारियों के नाम व पद नाम बताने का कष्ट करें और उपरोक्त आचरण नियमावली उलघ्घन करने वाले लोक सेवको के विरूद्व क्या कार्यवाही की जायेगी साक्ष्य सहित बताये कार्यवाही न होने के दशा में कारण नियम सहित स्पष्ट किये जाने का प्रमाण भी उपलब्ध कराये।	भूमि अधिग्रहण सम्बंधी कार्यवाही हेतु दर का निर्धारण कार्यालय अपरजिलाधिकारी भू0अ0 आगरा एवं मकानो का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग आगरा के द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय का प्रतिकर निर्धारण करने एवं प्रतिकर बढाये या घटाये जाने एवं इस कार्यालय के किसी भी कर्मचारी का किसी किसान का शोषण करने का कोई औचित्य ही नही है।
8.	पूर्व में दिये गये समस्त आवदेन पत्रों पर किस स्तर के अधिकरियों के पास किस–स्थिति में किन–किन बिन्दुओ पर किन नियमो के अर्न्तगत लम्बित रहा उसका कारण स्पष्ट साक्ष्य सहित दें।	डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना द्वारा जिला आगरा के अर्न्तगत भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर वितरण सम्बंधी सभी कार्यवाही कार्यालय अपरजिलधिकारी भू0अ0 आगरा के यहॉं से की जाती है।
9.	यह कि उक्त भूमि अधिग्रहण का अभिलेख किन–किन	डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल

	अधिकरियों के पास किस रिकार्ड में रहता है एवं उस रिकार्ड का अधिकरियों पर क्या जिम्मेदारी रहती है। उन सभी विभागो के पत्राचार का पता जो भूमि का मुआवजा दिलाये जाने कि लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना के साथ विधिवत पूर्वक कार्यवाही को पूर्ण कर अधिग्रहण मुआवजा उपलब्ध कराते है। उनके पद नाम एवं पत्राचार का पता उपलब्ध करायें।	परियोजना द्वारा जिला आगरा के अर्न्तगत भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर वितरण सम्बंधी सभी कार्यवाही कार्यालय अपरजिलधिकारी भू0अ0 आगरा के यहाँ से की जाती है।
10.	यह कि उपरोक्त भूमि का मुआवजा सम्बंधी कार्यवाही किन–किन अधिकरियों के पास भेजी जाती है, और किस अधिकारी द्वारा अतिम कार्यवाही पूर्ण की जाती है, कि मुआवजा बढा कर दिया जाना उचित है अथवा अनुचित है। उनका नाम एवं पदनाम विभागीय कार्यवाही हेतु पत्राचार का पता उपलब्ध करायें।	डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना द्वारा जिला आगरा के अर्न्तगत भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर वितरण सम्बंधी सभी कार्यवाही कार्यालय अपरजिलधिकारी भू0अ0 आगरा के यहाँ से की जाती है।
11.	यह कि प्रथम अपीलीय जनसूचना अधिकारी व द्वितीय अपीलीय जनसूचना अधिकारी का नाम व पदनाम व पत्राचार का पूर्ण पता प्रार्थी को उपब्ध करायें।	**यह सूचना DFCCIL की वेबसाइट www.dfccil.gov.in पर उपलब्ध है ।**

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration,
DFCCIL, 5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building,
New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skpanda@dfcc.co.on
9717636811

Copy to:

1. CPM/ Agra For information and record

DFCCIL - Agra - UBI A/C No.574001110050000						
Details of cheque Issued on 12.08.2017						
S.No.	Name	Village	Category	Amount (in Rs.)	Cheque Number	Remarks
1	Savitri Devi W/o Rambabu	Barhan Na Gokul	Structure	88,642.00	21230	
2	Netrapal Singh S/o Rambabu	Barhan Na Gokul	Structure	88,642.00	21231	
3	Girraj Singh S/o Rambabu	Barhan Na Gokul	Structure	88,642.00	21232	
4	Lekhraj Singh S/o Rambabu	Barhan Na Gokul	Structure	88,642.00	21233	

DFCCIL - Agra - UBI A/C No.574001110050000						
Details of cheque issued on 18.08.2017						
S.No.	**Name**	**Village**	**Category**	**Amount (in Rs.)**	**Cheque Number**	**Remarks**
1	Diwan Singh S/oBadri Prasad	Mitavali	Land	2,545.00	20465	
2	Rajendra Singh S/o Badri Prasad	Mitavali	Land	2,544.00	20466	
3	Bhuri Devi S/o Bhadri Prasad	Mitavali	Land	12,721.00	20467	
4	Jhamman lal S/o Ram Khiladi	Rahankhurd	Land	10,350.00	20479	
5	Lakhan Singh S/o Ram Khiladi	Rahankhurd	Land	10,350.00	20480	
6	Norangi lal S/o Ram Khiladi	Rahankhurd	Land	10,350.00	20481	
7	Savitri Devi W/o Rambabu	Barhan	Land	30,858.00	20484	
8	Netrapal Singh S/o Rambabu	Barhan	Land	30,858.00	20485	
9	Girraj Singh S/o Rambabu	Barhan	Land	30,858.00	20486	
10	Lekhraj S/o Rambabu	Barhan	Land	30,858.00	20487	
11	Netrapal Singh S/o Rambabu	Barhan	R &R	49,000.00	20488	
12	Girraj Singh S/o Rambabu	Barhan	R &R	49,000.00	20489	
13	Lekhraj Singh S/o Rambabu	Barhan	R &R	49,000.00	20490	
14	Jitendra Singh S/o Bharat Singh	Sujaanpur	Land	3,666.00	21234	
15	Shelendra Kumar S/o Bharat Singh	Sujaanpur	Land	3,667.00	21235	
16	Shakuntala Devi W/o Bharat Singh	Sujaanpur	Land	3,666.00	21236	
17	Shiv kumar S/o Bharat Singh	Sujaanpur	Land	3,667.00	21237	
18	Tej Veer Singh S/o Reshipal Singh	Sujaanpur	Land	7,333.00	21238	
19	Dinesh Kumar S/o Vasdev	Jampur, Agra	Land+Strt.	1,55,222.00	21239	
20	Muunesh Kumar S/o Raja Ram	Jampur, Agra	Land+Strt.	1,33,267.00	21240	
21	Manoj S/o Niranjan Singh	Jampur, Agra	Land+Strt.	4,78,642.00	21241	
22	Muunesh Kumar S/o Raja Ram	Jampur, Agra	R &R	49,000.00	21242	
23	Dinesh Kumar S/o Vasdev	Jampur, Agra	R &R	49,000.00	21243	
24	Manoj S/o Niranjan Singh	Jampur, Agra	R &R	49,000.00	21244	
25	Shri Kant S/o Munnalal	Jampur, Agra	R&R	49,000.00	21245	Old No. 21152
26	Shri Kant S/o Munnalal	Jampur, Agra	Land	2,47,638.00	21246	Old No. 21156
27	Arvind Kumar S/o Ramshankar	Jampur, Agra	R&R	49,000.00	21247	Old No. 21143
28	Vijay Pal Singh S/o Ramshankar	Jampur, Agra	R&R	49,000.00	21248	Old No. 21144